न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी :आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 16/2016

अपीलांट

रूपाराम पुत्र पन्नाजी जाति भांबी निवासी चाटेलाव तहसील रोहट

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. रूपाराम पुत्र मगनाजी जाति घांची निवासी निंबली माण्डा तहसील मारवाड जंक्शन।
2. राज. राज्य जरिये तहसीलदार महोदय रोहट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट।
रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।
राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 03

–: निर्णय :–

दिनांकः– 30.08.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 82/2013 में पारित आदेश दिनांक 22.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्टगण बावजूद तामिल उपस्थित आने से उनके विरूद्ध गुणवागुण पर निर्णय पारित किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। वकील अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद वादग्रस्त आराजी ग्राम चाटेलाव के खसरा नंबर 211/1 एवं 73/12 कुल रकबा 30 बीघा के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा। साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के संबध में अपीलांट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 211/1रकबा 15 बीघा भूमि कभी भी

रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पिता मगनाजी को आवंटित नहीं हुई थी, एवं नही उनके पिता मगनाजी ग्राम चाटेलाव के कभी निवासी नहीं रहे। वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 211/1 की भूमि अपीलांट की आवंटनशुदा खातेदारी व कब्जा काश्तशुदा आराजी है। जिस पर अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है। किन्तु राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से मगना पुत्र देवा का नाम इन्द्राज हो गया था, जबकि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 211/1 की भूमि अपीलांट को आवंटित हुई थी। जिससे अपीलांट द्वारा मगना पुत्र देवाजी एवं राज्य सरकार के विरूद्ध एक वाद सहायक कलक्टर पाली के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसके मुकदमा नंबर 13/92 है, उक्त वाद को सहायक कलक्टर पाली द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28.01.94 को डिक्री किया गया था। जिसकी पालना में म्यूटेशन संख्या 399 दिनांक 19.04.94 को पारित किया जाकर अपीलांट को राजस्व रेकर्ड में खातेदारी घोषित किया गया। तब से लेकर आदिनांक तक उक्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने एक आवेदन आदेश 39 नियम 4 के तहत प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना निर्णीत किये, बिना अपीलांट एवं अधिवक्ता को नोटिस दिये कैम्प कोर्ट मुख्यालय बिठू में पत्रावली नियत की जाकर जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद वादग्रस्त आराजी ग्राम चाटेलाव के खसरा नंबर 211/1 एवं 73/12 कुल रकबा 30 बीघा के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा। साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के संबध में अपीलांट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। जिस अपीलांट ने दिनांक 30.08.2013 को न्यायालय में स्वंय उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र मय फहरिस्त दस्तावेज, आदेश 39 नियम 4 का आवेदन प्रस्तुत किया। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को बिना निर्णीत किये जैर अपील आदेश पारित किया है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलग्न जमबांदी संवत 2069 से 2072 के अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 211/1 रकबा 15 बीघा रूपा वल्द पना कौम भांबी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गवाहान ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 211/1 रकबा 15 बीघा

अपीलांट का कब्जा काश्त होना ताईद किया है। जिससे यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। एवं उक्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त है। एवं कानूनन रेकर्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किये बिना जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 82/2013 में पारित आदेश दिनांक 22.06.2015 अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.08.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली